बिहार सरकार
<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 223914 ग्रा0वि0-5/ई0आ0यो0 (नि0वि0)-102-22/2014 पटना, दिनांक 13.03.2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी,</u>
सभी उपविकास आयुक्त ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत आवश्यकता से अधिक निधि का हस्तान्तरण एवं आवश्यकता की पूर्ति हेतु एवं अतिरिक्त निधि की अधियाचना के संबंध में ।**

प्रसंग :- **विभागीय पत्र सं0- 219553 दिनांक 06/02/2015**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र में निहित विषय वस्तु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि योजनान्तर्गत जिला में अत्यधिक उपलब्ध राशि के कारणों से केन्द्रांश की निधि विमुक्ति में कटौती की संभावना को देखते हुए एवं आवश्यकता वाले जिलों में राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अनुरोध किया गया था कि जिलान्तर्गत उपलब्ध राशि जिसके विरूद्ध लाभुक को आवास की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है वह राशि विभागीय मुख्यालय के अन्तर्गत BRDS के बैंक खाता में जमा करा दी जाय । इसी प्रकार वैसे जिले में लक्ष्य से अधिक लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी है उनसे लाभुकों को सहायता राशि भुगतान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यक राशि का आकलन कर अधियाचना करने हेतु कहा गया था । किन्तु अब तक मात्र पश्चिम चम्पारण, शिवहर एवं मुंगेर से ही राशि की हस्तातंरण की सूचना प्राप्त हुई है । जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पूरे राज्य में 1417.79 करोड़ रूपये अभी भी अव्यवहृत पड़े है । इसी प्रकार अतिरिक्त राशि की अधियाचना मांगने का प्रस्ताव मात्र गया, जहानाबाद एवं नवादा से ही प्राप्त है ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक- G-20011/1/2013-RH(A/C) दिनांक 25/02/2015 द्वारा राज्य को द्वितीय किस्त केन्द्रांश की विमुक्ति के लिए जिलों में भारी मात्रा में अवशेष राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अन्तर जिला में निधि के हस्तातंरण की अनुमति प्रदान की गयी है तथा दिनांक 12/03/2015 को नई दिल्ली में इसी संदर्भ में ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव से हुये विमर्श में चालू वित्तीय वर्ष में ही अवशेष राशि का उपयोग करने की आवश्यकता बतायी गई है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि जिलान्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध निधि के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष में उपयोग होने वाली राशि का आकलन करते

हुए उतनी राशि रखकर शेष राशि राज्यस्तर पर विभाग अन्तर्गत BRDS के संचालनाधीन बैंक ऑफ इंडिया, सोन भवन, वीरचंद पटेल पथ पटना में संधारित खाता संख्या- 44102010000167, IFSC Code- BKID 000410, MICR Code – 800013003 में RTGS के माध्यम से दिनांक 16/03/2015 तक निश्चित रूप से हस्तांतरित करते हुए इसकी सूचना विभाग को दी जाय । इसी प्रकार राज्य के वैसे जिलों जिनके पास योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है वे आवश्यक निधि का आकलन करते हुए राशि अधियाचना का प्रस्ताव भी दिनांक 16/03/2015 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा देगे ताकि जिलो में भारी मात्रा में अवशेष राशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रांश द्वितीय किस्त की निधि करायी जा सके ।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार
13.3.15

(प्रदीप कुमार)
सचिव